37–(08)–50–2011

पटना में दिनांक–20.12.2011 मंगलवार को अपराह्न 4:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये : –

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	
1. बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड, पटना को वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान स्वरूप गैर योजना मद से उपबंधित राशि रू० 10,00,000/–(दस लाख रूपये) मात्र व्यय की स्वीकृति।	1. स्वीकृत।
गृह विभाग (विशेष)	
2. गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सुरक्षा संबंधी व्यय (SRE) के तहत विमुक्त कुल राशि ` 1625.94 लाख (सोलह करोड़ पच्चीस लाख चौरानवे हजार रू०) की प्रशासनिक एवं राशि स्वीकृत करने के साथ–साथ सुरक्षा संबंधी व्यय (SRE) योजना को चालू योजना के श्रेणी में रखने के संबंध में।	2. स्वीकृत।

गृह विभाग

(आरक्षी)

3. बेगुसराय जिलान्तर्गत डंडारी प्रखण्ड मुख्यालय में थाना का सृजन तथा इसके संचालन हेतु कुल 09 (नौ) पदों के सृजन के संबंध में।

3. स्वीकृत।

गृह विभाग

(आरक्षी)

4. फिरार उग्रवादियों/भूमिपतियों की निजी सेनाओं एवं अपराधियों को गिरफ्तारी हेतु पुरस्कार घोषित करने के संबंध में।

4. स्वीकृत।

गृह विभाग

5. फारबिसगंज जिला अररिया में पुलिस गोलीकांड की जाँच के लिए गठित न्यायिक जाँच आयोग के सचिव एवं अन्य कर्मियों के पदों की स्वीकृति।

5. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

6. अरवल–सहार के बीच सोन नदी पर पहूँच पथ एवं गाईड–बैंक निर्माण कार्य सहित 2040.00 मी० लम्बा उच्च स्तरीय आर०सी०सी० पुल निर्माण कार्य कुल 18878.77 लाख (एक सौ अठासी करोड़ अठहत्तर लाख सतहत्तर हजार) रूपये के प्रथम पुनरीक्षित अनुमानित लागत पर करने की प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

6. स्वीकृत।

योजना एवं विकास विभाग

(मूल्यांकन निदेशालय)

7.	मुख्यमंत्री शोध, अध्ययन एवं मूल्यांकन प्रोत्साहन योजना अंतर्गत शोध एवं अध्ययन मूल्यांकन, सेमिनार/कार्यशाला का आयोजन तथा प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता योजना की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2011–12 में 20.00 (बीस) लाख रूपये के व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव।	7.	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

8.	सहरसा जिलान्तर्गत महिषी अंचल के मौजा–महिषी –थाना सं०–105, खाता सं०–4098, खेसरा सं०–7255, रकबा–0.75 एकड़ किस्म परती, कोशी परियोजना बिहार सरकार की भूमि जो वर्त्तमान में प्रखंड परिसर महिषी में स्थित है का राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत 33/11 के०भी० विद्युत उप केन्द्र की स्थापना हेतु 1,20,000 (एक लाख बीस हजार) रू० सलामी एवं सलामी का 2 प्रतिशत वार्षिक आवासीय लगान का 25 गुणा अर्थात् 60,000 (साठ हजार) रूपया पूंजीकृत मूल्य सहित कुल 1,80,000 (एक लाख अस्सी हजार) रूपये के भुगतान पर बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को स्थायी हस्तांतरण।	8.	स्वीकृत।

वित्त विभाग

9. बिहार न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक–01.01. 2006 से पुनरीक्षण के संबंध में।

9. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

10. गृह विभाग के अन्तर्गत सैनिक कल्याण निदेशालय (मुख्यालय) पटना को सचिवालय का संलग्न कार्यालय घोषित करने एवं बिहार सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 को संशोधित करते हुए उसके परिशिष्ठ–1 के क्रमांक–62 पर सैनिक कल्याण निदेशालय (मुख्यालय) को सचिवालय के संलग्न कार्यालय के रूप में अंकित करने के संबंध में।

10. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

11. बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 की धारा–15 (1) एवं बिहार सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 के नियम 12 (1) के आलोक में श्री शालिग्राम झा, सेवानिवृत्त प्रशाखा

11. स्वीकृत।

पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग को कनीय को दी गई प्रोन्नति के अनुरूप दिनांक– 30.11.85 से निबंधक पद पर वेतनमान– 940–1660 / –रूपया एवं दिनांक–05.10.89 से अवर सचिव पद पर वेतनमान–1350–2000 / –रूपया में वैचारिक प्रोन्नति देने के संबंध में।

सामान्य प्रशासन विभाग

12. बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 की धारा–15 (1) एवं बिहार सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 के नियम 12 (1) के आलोक में बैंड वेतन–9300– 34800+ग्रेड वेतन–4800 / –रू० (अपुनरीक्षित वेतनमान 6500–10500 / –) में कार्यरत प्रशाखा पदाधिकारी का अवर सचिव के पद पर बैंड वेतन–15600– 39100 / –रू०+ग्रेड वेतन–6600 / – (अपुनरीक्षित वेतनमान 10,000–15,200 / –रू०) में नियमित प्रोन्नति के संबंध में।

12. स्वीकृत।

अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

13. राज्य अनुसूचित जाति आयोग के माध्यम से अनुसूचित जातियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति के अध्ययन / मुख्यालय तथा प्रखंड / अनुमंडल / जिला स्तर पर व्यक्तियों / संस्थाओं के प्रतिनिधियों को जागरूक करने हेतु प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के लिए

13. स्वीकृत।

वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 में गैर योजना मद से 50.00 लाख (पचास लाख) रू० स्वीकृत एवं व्यय हेतु अनुदान के रूप में उपलब्ध करने के संबंध में।

उद्योग विभाग

14. मे० कुमार टेक बॉयों प्रोडक्ट्स प्रा० लि, बंगलोर द्वारा खिजरसराय रोड, गया में 30 मेगावाट का राईस हस्क बेस्ड पॉवर प्लांट की स्थापना लगभग 306 करोड़ रू० की लागत से निजी पूंजी निवेश की स्वीकृति का प्रस्ताव।

14. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

15. केन्द्र प्रायोजित ''स्वास्थ्य बीमा योजना'' के अंतर्गत वीमित हस्तकरघा बुनकरों के प्रीमियम का भुगतान/वीमित बुनकरों के बीमा के नवीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्यांश राशि 90,44,321.00 (नब्बे लाख चौवालीस हजार तीन सौ इक्कीस) रूपये सहायक अनुदान की स्वीकृति का प्रस्ताव।

15. स्वीकृत।

कृषि विभाग

16. गरमा 2012 मौसम में हरी खाद के रूप में मूंग की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2011–12 में 55.13 करोड़ रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति।

16. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

17. वाल्मी (जल एवं भूमि प्रबन्धन संस्थान), फुलवारीशरीफ, पटना के लिए वित्तीय वर्ष 2011–12 में रू० 4,50,00,000/–(चार करोड़ पचास लाख) मात्र के सहायक अनुदान की स्वीकृति।

17. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

18. मंत्रिमंडल सचिवालय के संकल्प सं०–878 दिनांक– 16.03.82 के साथ पठित संकल्प सं०–3360 दिनांक– 23.09.82 द्वारा विभागों के पुनर्गठन के फलस्वरूप ग्राम्य अभियंत्रण संगठन एवं शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों के अभियंत्रण कोषागों के द्वारा नियुक्त अभियंताओं को पथ एवं भवन निर्माण अविभक्त संवर्ग में समायोजन एवं अविभक्त वरीयता सूची में शामिल करने के संबंध में।

18. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

19. मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना की मार्ग दर्शिका संकल्प सं०–6801 (एस), दिनांक–01.07.2006

19. स्वीकृत।

की कंडिका– 4.2 में अंकित ''जिला राष्ट्रीय सम विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु'' शब्दों को विलोपित करते हुए वित्त विभाग के ज्ञापांक–3828 वि०(2), दिनांक–12.06.2006 के कंडिका–1, संकल्प संख्या–96बी०(2), दिनांक–03.01.2008 के कंडिका–4 एवं 2190 वि० (2), दिनांक–17.03.2008 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व से विभाग के स्तर पर दी जा रही प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई की संपुष्टि एवं उपर्युक्त कंडिकाओं के तहत विभागीय स्तर पर प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई करने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

पथ निर्माण विभाग

20. मंत्रीपरिषद् के निर्णयानुसार ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम में दैनिक वेतन पर कार्यरत डिग्रीधारी कनीय अभियंताओं को सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर की गई तदर्थ नियुक्ति की समायोजन के आधार पर नियुक्ति एवं अवधि विस्तार की घटनोत्तर स्वीकृति।

20. स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

21. रू० 307.73 करोड़ (तीन सौ सात करोड़ तिहत्तर लाख रू०) की लागत पर मॉडल विधायक आवासन भवन परियोजना के अन्तर्गत 325 अदद डुप्लेक्श बॅगलों तथा दो हॉस्टल का निर्माण एवं कम्यूनिटि सुविधा के विकास से संबधित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति तथा

21. स्वीकृत।

(ii) इससे संबंधित परियोजना का विस्तृत वास्तुविदिय सेवा एवं विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु चयनित वास्तुविद परामर्शी को 1.5% (सेवा शुल्क अतिरिक्त) परामर्शी शुल्क के आधार पर चयन की स्वीकृति के संबंध में।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

22. बक्सर जिलान्तर्गत बक्सर अंचल के मौजा–बक्सर किला, थाना न०–332, खाता न०–491, खेसरा न०–423, रकबा–0. 563400312 एकड़ (0.2280 हेक्टेयर) अनाबाद सर्वसाधारण किस्म पुरानी परती भूमि शवदाह गृह निर्माण हेतु गृह विभाग को निःशुल्क अंतर्विभागीय हस्तांतरण के संबंध में।

22. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

23. स्वीकृत।

23. बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली, 2011 के गठन की स्वीकृति के संबंध में।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

24. रोहतास जिलान्तर्गत सासाराम अंचल के मौजा–बेलाढ़ी, थाना न०–107, खाता न०–212, खेसरा न०–1747, रकबा–0.90 एकड़ (नब्बे डीसमिल) अनाबाद सर्वसाधारण किस्म पुरानी

24. स्वीकृत।

परती भूमि पर्यवेक्षण/ बालगृह के निर्माण हेतु समाज कल्याण विभाग को निःशुल्क अंतर्विभागीय हस्तांतरण के संबंध में।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

25.	गोपालगंज जिले के विजयीपुर अंचल के मौजा भटवा, थाना सं०–89 के खाता सं०–26 एवं 38 के क्रमशः खेसरा सं०–41 एवं 42 के क्रमशः रकवा–0.38 एकड़ एवं 0.37 एकड़ अर्थात् कुल 0.75 एकड़ (पचहत्तर डिसमिल) भूमि जो प्रखंड परिसर विजयीपुर हेतु अधिग्रहित भूमि है, को 22,50,000 (बाईस लाख पचास हजार) रूपये सलामी एवं सलामी के 2 प्रतिशत वार्षिक लगान का 25 गुणा अर्थात् 11,25,000 (ग्यारह लाख पच्चीस हजार) रूपया पूंजीकृत मूल्य सहित कुल 33,75,000 (तेतीस लाख पचहत्तर हजार) रूपया के भुगतान पर राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 33/11 के०भी० विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को स्थायी हस्तांतरण।	25.	स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

26.	कमैूर जिलान्तर्गत भभुआ अंचल के वार्ड नं०–15, थाना नं०–491, खाता नं०–228/175, खेसरा नं०–114, रकबा–0.20 एकड़ अनाबाद सर्वसाधारण भूमि उर्दू मध्य विद्यालय, भभुआ, वार्ड नं०–15 के निर्माण हेतु मानव संसाधन विकास विभाग को निःशुल्क अंतर्विभागीय स्थायी हस्तांतरण के संबंध में।	26.	स्वीकृत।

वाणिज्य–कर विभाग

27. बिहार वित्त सेवा सम्वर्ग में वाणिज्य–कर उपायुक्त (वेतनमान 15,600–39,100+ग्रेड पे 7,600 रू०) कोटि से वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त (वेतनमान 37,400–67,000+ग्रेड पे 8,700 रू०) कोटि में नियमित प्रोन्नति देने के संबंध में।

27. स्वीकृत।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

28. सी०डब्लू०जे०सी० संख्या–13030/2002, बी०आई०टी०, मेसरा, राँची बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–27.01.2011 एवं 28.02.2011 तथा एल०पी०ए० संख्या–1136/2011 में दिनांक–21.10.2011 को पारित आदेशों के अनुपालन में, राज्य पुनर्गठन के पूर्व स्वीकृत राशि रू० 358.00 लाख (तीन करोड़ अंठावन लाख रूपये) मात्र के विरूद्ध शेष राशि रू० 200.00 लाख (दो करोड़ रूपये) मात्र वित्तीय वर्ष 2011–12 में बी०आई०टी० मेसरा, राँची प्रबंधन को अनुदान स्वरूप विमुक्त करने की स्वीकृति के संबंध में।

28. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

(आई०सी०डी०एस० निदेशालय)

29. (i) बिहार राज्य में डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (DFID) संपोषित, 'क्षेत्र विस्तृत

29. स्वीकृत।

पद्धति द्वारा स्वास्थ्य सुदृढ़ीकरण' (Sector wide approach to strengthening health-SWASTH) कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु 85,80,00,000 रू० (पचासी करोड़ अस्सी लाख रूपये) मात्र की घटकवार स्वीकृति तथा

(ii) उपरोक्त राशि के अन्तर्गत बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से रू० 20,00,00,000 (बीस करोड़ रूपये) के अग्रिम की स्वीकृति।

समाज कल्याण विभाग

(आई॰सी॰डी॰एस॰ निदेशालय)

30. राज्य योजना मद से वित्तीय वर्ष 2011–12 में आई॰सी॰डी॰एस॰ कार्यक्रम के अन्तर्गत ऑगनवाड़ी केन्द्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 3–6 वर्ष के सभी बच्चों को पोशाक उपलब्ध कराने हेतु 91,67,70,000 रू० (एकानब्बे करोड़ सरसठ लाख सत्तर हजार रूपये) मात्र की स्वीकृति।

30. इस निदेश के साथ स्वीकृत कि पोशाक के रंग का निर्धारण अलग से विभाग द्वारा किया जाएगा।

स्वास्थ्य विभाग

31. डा० साहा यासिन, चिकित्सा पदाधिकारी, अति०प्रा० स्वा० केन्द्र, अमीरगंज, राजगीर (नालंदा) को सेवा से बर्खास्तगी के संबंध में।

31. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

32. ''मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष'' से एक लाख रूपये से कम वार्षिक आय वाले बिहार के

32. स्वीकृत।

नागरिकों के असाध्य रोगों की चिकित्सा के लिए वित्तीय वर्ष 2011–12 में रू० 25,00,00,000/–(पचीस करोड़) मात्र के अनुदान राशि के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

श्रम संसाधन विभाग

33. मुख्यालय स्तर पर श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारियों के 11 (ग्यारह) नए पदों के सृजन की स्वीकृति।

33. स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

34. श्रम संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के अन्तर्गत सहरसा जिलान्तर्गत महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सहरसा के लिए पद सृजन की स्वीकृति में आंशिक संशोधन के संबंध में।

34. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

35. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के वितरण प्रणाली में अतिरिक्त वितरण ट्रॉन्सफार्मरों को स्थापित करने एवं अतिभारित वितरण ट्रॉन्सफार्मरों की क्षमता विस्तार करने की 150.21 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में 10 (दस) करोड़ रूपये ऋण के रूप में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

35. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

36\. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के वितरण प्रणाली में पावर ट्रॉन्सफार्मरों की क्षमता विस्तार/अतिरिक्त ट्रॉन्सफार्मरों को स्थापित करने की 80.23 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्य येाजना से 10 (दस) करोड़ रूपये ऋण के रूप में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

36\. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

37\. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के वितरण प्रणाली के शक्ति उपकेन्द्रों (पी०एस०एस०) के विभिन्न क्षमताओं के पावर ट्रॉन्सफार्मरों को खराब होने पर ससमय बदलने की 67.84 करोड़ रूपये की येाजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्य योजना से 8 (आठ) करोड़ रूपये ऋण के रूप में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

37\. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

38\. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के वितरण प्रणाली अन्तर्गत शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत

38\. स्वीकृत।

खराब होने वाले वितरण ट्रॉन्सफार्मरों को निर्धारित अवधि में बदलने की 77.93 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्य योजना से 8 (आठ) करोड़ रूपये ऋण के रूप में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

39.	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सं०–VI –सह–प्राधिकृत पदाधिकारी, विशेष न्यायालय संख्या–II निगरानी, पटना द्वारा विशेष वाद संख्या–07/2010 राज्य बनाम गिरीश कुमार एवं अन्य में दिनांक–23.06.2011 को पारित आदेश एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल अपील (एस०ज०) सं०–918/2011 में दिनांक–15.11.2011 को पारित न्यायादेश के आलोक में अधिग्रहण वाद सं०–02/2011–12 राज्य बनाम गिरीश कुमार एवं अन्य में दिनांक–18.11.2011 को पारित आदेश के आलोक में कब्जा में ली गयी सम्पत्ति मौजा–पार्क रोड़, कदमकुआँ, ब्लॉक सं०–ई०, खास महाल प्लॉट सं०–27 (पी०) तथा 28 (पी०), सर्किल सं०–13 कुल रकबा–04.89 डिसमिल अथवा 2129 वर्ग फीट भवन सहित भूमि कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, पाटलीपुत्रा, पटना के संचालन हेतु भवन उपलब्ध कराने के लिए पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को अन्तर्विभागीय निःशुल्क एवं स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।	39.	स्वीकृत।

सहकारिता विभाग

40. खरीफ विपणन मौसम 2011–12 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पैक्सों के द्वारा राज्य के कृषकों के धान की अधिप्राप्ति के क्रम में कृषकों को तत्काल भुगतान के लिए राज्य योजना अन्तर्गत 400.00 (चार सौ) करोड़ रूपये की ऋण 9% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष के लिए कार्यशील पूँजी के रूप में उपलब्ध कराने की स्वीकृति के संबंध में।

40. **स्वीकृत।**